5000Rs.

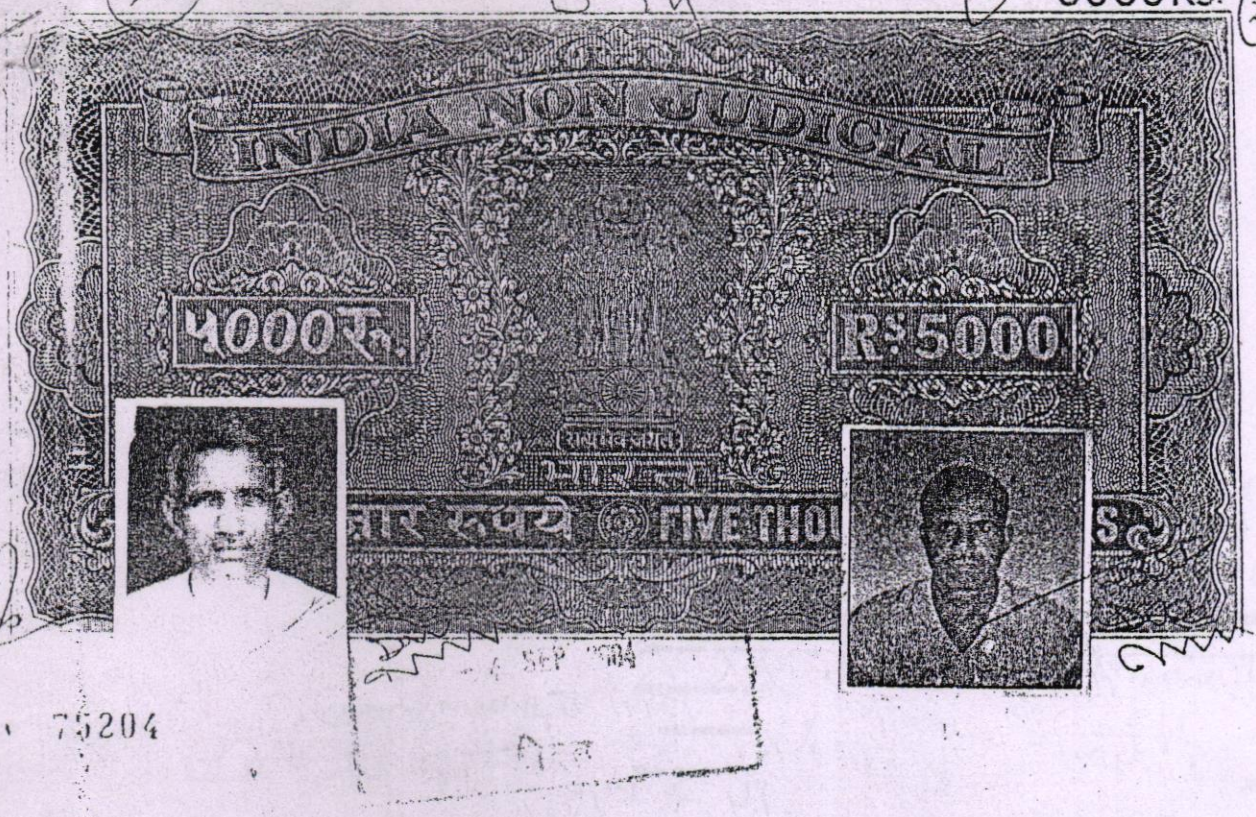

INDIA NON JUDICIAL

५000रू. Rs.5000

75204

विक्रय–पत्र अंकन: 72,000/–रूपये।

मालियत बाजारी अंकन: 72,000/–रूपये।

स्टाम्प शुल्क अंकन: 7,200/–रूपये।

विक्रय–पत्र ओर से श्री गजराज सिंह पुत्र श्री चमन सिंह व श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री चमन सिंह निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ, के :–

जोकि 150 वर्ग मीटर भूमि (एक सौ पचास वर्ग मीटर भूमि) मिनजुमले नम्बर खसरा 570 स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला व तहसील सरधना जिला मेरठ के हम प्रतिज्ञाकारीगण व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा भूमिधर है। उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार

सतपाल सिंह गजराज सिंह

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

040899

'ESTED

सिविल कोर्ट, मेरठ

::2::

आदि से उऋण एवं वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त तथा रहित है तथा हम प्रतिज्ञाकारीगण ने उपरोक्त भूमि को कहीं पर बन्धक अथवा भारग्रस्त नहीं किया हुआ है अर्थात उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक हर तरह से पाक व साफ है और हमको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी होने के नाते उसके विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष हमारे विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। उपरोक्त भूमि का मूल्य हमें निम्न क्रेता से अंकन 72,000/— रूपये (बहत्तर हजार रूपये) तय है कि जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोडे हुये किसी भी स्वत्व अथवा अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो या न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क

1000Rs.

040650

एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 72,000/--रूपये (बहत्तर हजार रूपये) विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हरते श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व0 श्री आर0 के0 गुप्ता निवासी ए 2 शास्त्री नगर, मेरठ शहर को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्न प्रकार क्रेता से प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया और अब हम प्रतिज्ञाकारीगण का कोई सम्बन्ध भविष्य के लिये विक्रीत भूमि से शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित, वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है, विक्रीत भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर क्रेता को प्रदान कर दिया है और क्रेता ने कब्जा प्राप्त कर लिया है। क्रेता उसमें अपना निर्माण अपनी इच्छानुसार करने के